पत्रांक - 477(5) 35
दिनांक - 21.08.2024

झारखण्ड सरकार

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

संकल्प

विषयः–मुख्यमंत्री अस्पताल कायाकल्प योजना के कार्यान्वयन तथा दिशा–निर्देश की स्वीकृति के संबंध में।

झारखण्ड राज्य के नागरिकों की सुलभ, सस्तें तथा गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएँ उपलब्ध कराने हेतु झारखण्ड राज्य अन्तर्गत मौजूदा सभी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पतालों के साथ संबद्ध अस्पतालों, सभी जिला अस्पतालों, अनुमण्डलीय अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का एक व्यापक पुनर्विकास योजना तैयार करते हुए इसे क्रमबद्ध तरीके से क्रियान्वयन हेतु विभाग प्रतिबद्ध है। योजना का मुख्य लक्ष्य इन अस्पतालों को आधुनिक बुनियादी ढांचे एवं आवश्यक सेवाओं को सुदृढ़ करते हुए इसे सुसज्जित विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सुविधाओं में परिवर्तित करना है।

2. सम्पूर्ण झारखंड राज्य अन्तर्गत वर्तमान में शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, धनबाद एवं महात्मा गाँधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, जमशेदपुर के साथ संबद्ध अस्पताल लगभग 570 शय्यावाले अस्पताल के रूप में संचालित है। इसी प्रकार, पलामू, हजारीबाग एवं दुमका में अवस्थित मेडिकल कॉलेजों के साथ 300 शय्यावाले अस्पताल को संबद्ध करते हुए संचालित किया जा रहा है। साथ ही, राँची जिला में 500 शय्यावाले सदर अस्पताल संचालित है, जबकि शेष जिलों के मुख्यालय में 100 शय्यावाले अस्पताल, अनुमण्डलों में अनुमण्डलीय अस्पताल एवं प्रखण्डों में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा इसके अधीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र वर्त्तमान में संचालित है। वर्त्तमान में संचालित इन अस्पतालों एवं स्वास्थ्य केन्द्रों को आई०पी०एच०एस० मापदंड–2022 के अनुसार उक्त योजना अंतर्गत व्यापक उन्नयन किया जाना है।

3. योजना का व्यापक उद्देश्य प्रत्येक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल/जिला अस्पताल/अनुमंडलीय अस्पताल एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों द्वारा दी जाने वाली बुनियादी सुविधाओं और सेवाओं को उन्नत करना है, जिसके लिए उपकरणों के उन्नयन और सेवाओं को परिष्कृत करने में निवेश करते हुए लक्षित इन अस्पतालों को उन्नत स्वास्थ्य देखभाल केन्द्रों में आधुनिक बनाना है, जो आबादी की विविध चिकित्सा आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम हो।

4. मुख्यमंत्री अस्पताल कायाकल्प योजना का कार्यान्वयन योजनाबद्ध तरीके से करने हेतु मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल/जिला अस्पताल/अनुमंडलीय अस्पताल एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को उन्नयन हेतु निम्नांकित पहलुओं पर ध्यान दिया जाएगा :–

<u>प्रस्तावित पुनर्विकास/उन्नयन की योजना में निम्नांकित महत्वपूर्ण घटक शामिल हैं:–</u>

- बुनियादी ढांचे का विस्तार और संवर्द्धन।
- अद्यतन भारतीय लोक स्वास्थ्य मानकों (IPHS) में निहित दिशा–निर्देशों को पूरा करने के लिए अस्पताल भवनों का नवीनीकरण और आधुनिकीकरण।
- बढ़े हुए रोगी प्रवाह और उन्नत चिकित्सा उपकरणों को समायोजित करने के लिए मौजूदा संरचनाओं का विस्तार।
- विशिष्ट चिकित्सा सेवाओं और उभरती स्वास्थ्य देखभाल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नई सुविधाओं का निर्माण।

<u>पहुँच पथ और भूदृश्य विकास (Pathways and Landscaping Development)</u>:

- अस्पताल परिसर की सौंदर्य अपील और कार्यक्षमता को बढ़ाने के लिए अच्छी तरह से डिजाइन किए गए मार्गों और भूदृश्य का विकास।
- रोगियों, आगंतुकों और कर्मचारियों के बीच उपचार और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक स्थानों और मनोरंजक क्षेत्रों का एकीकरण।

(34)

नैदानिक अवसंरचना विस्तार और संवर्द्धन (Clinical Infrastructure Augmentation and Enhancement)

- आवश्यक नैदानिक सेवाओं के बुनियादी ढांचे जैसे– आउट पेशेंट सेवाएं, परामर्श कक्ष, परीक्षा कक्ष, पीएफटी/ईसीजी कक्ष, मेडिकल इमेजिंग, आपातकालीन देखभाल, बर्न यूनिट, डायलिसिस यूनिट, क्रिटिकल केयर यूनिट, ऑपरेशन थिएटर कॉम्प्लेक्स, लेबर रूम कॉम्प्लेक्स को अपग्रेड किया जाएगा। इसी प्रकार विशेष नवजात देखभाल इकाई और मातृ एवं नवजात देखभाल इकाई, आंतरिक रोगी वार्डों को आई०पी०एच०एस० मानदंडों के अनुसार उन्नत किया जाएगा।
- आई०पी०एच०एस० मानदंडों के अनुसार ब्लड बैंक और ब्लड स्टोरेज इकाइयों, केंद्रीकृत स्टेराइल आपूर्ति विभाग, अस्पताल लॉन्ड्री, मेडिकल गैस पाइपलाइन सिस्टम और मैनिफोल्ड (मेडिकल गैसों के लिए) आदि जैसी सहायता सेवाओं को अपग्रेड किया जाएगा।

आवश्यक सेवाओं का प्रावधान (Provision of Essential Services):

- सभी विभागों और गंभीर देखभाल इकाइयों को निरंतर और विश्वसनीय ऑक्सीजन आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए ऑक्सीजन गैस पाइपलाइनों की स्थापना।
- मरीजों, कर्मचारियों और संपत्तियों की सुरक्षा के लिए फायर अलार्म सिस्टम, स्प्रिंकलर और आपातकालीन निकास सहित मजबूत अग्नि सुरक्षा उपायों का कार्यान्वयन।
- रोगियों, आगंतुकों और आपातकालीन वाहनों के लिए सुविधाजनक पहुँच एवं पार्किंग सुविधा के लिए निर्दिष्ट पार्किंग क्षेत्रों की स्थापना।
- विकलांग लोगों के लिए समावेशिता और पहुँच सुनिश्चित करने के लिए बाधा मुक्त पहुँच बुनियादी ढाँचे का कार्यान्वयन।
- शौचालय तथा पेयजल की व्यवस्था।

जीर्ण–शीर्ण भवनों को ध्वस्त एवं पुनर्विकास (Demolition and Redevelopment):

- आधुनिक, लचीली और सतत् स्वास्थ्य सुविधाओं हेतु पहुँच बनाने के लिए जीर्ण–शीर्ण इमारतों और संरचनाओं को ध्वस्त करना।
- ऊर्जा दक्षता, पर्यावरणीय स्थिरता और स्वास्थ्य देखभाल नियमों और मानकों के अनुपालन पर ध्यान देने के साथ मौजूदा इमारतों का पुनर्विकास।
- सफाई और स्टरलाइजेशन के लिए पर्याप्त सुविधाओं का एकीकरण।

जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन के लिए सुविधाओं का प्रावधान/वृद्धि:

- झारखंड के सभी जिला अस्पतालों के लिए व्यापक बुनियादी ढांचे के उन्नयन के अधीन इन अस्पताल परिसरों के भीतर बायोमेडिकल अपशिष्ट प्रबंधन के लिए सुविधाओं का प्रावधान किया जाएगा, जिसका मुख्य उद्देश्य अस्पताल परिसर के भीतर उत्पन्न बायोमेडिकल कचरे का सुरक्षित और पर्यावरणीय रूप से उचित निपटान सुनिश्चित करना है।

5. राज्य के उक्त सभी अस्पतालों एवं स्वास्थ्य केन्द्रों को सुदृढ करने हेतु उक्त योजना का कार्यान्वयन चरणबद्ध तरीके से दो चरणों में किया जाएगा, जिसके अंतर्गत प्रथम चरण में राज्य अन्तर्गत सभी मेडिकल कॉलेज के साथ संबद्ध सभी अस्पतालों तथा जिला अस्पतालों का उन्नयन किया जाएगा। इसी प्रकार, द्वितीय चरण में राज्य अन्तर्गत सभी अनुमण्डलीय अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का उन्नयन किया जाएगा।

6. झारखंड राज्य के मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल/जिला अस्पताल/अनुमंडलीय अस्पताल एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के उन्नयन हेतु प्रस्तावित बुनियादी ढांचे के विकास के सफल कार्यान्वयन के लिए जिला और राज्य दोनों स्तरों पर समितियों का गठन किया किया जाएगा, जो निम्न अनुसार होगा :–

477(5)
21.08.2024

जिला स्तर पर गठन किए जाने वाले समितिः–

क्र०	पदाधिकारी का नाम	नामित पद
1	संबंधित जिले को उपायुक्त	अध्यक्ष
2	संबंधित जिले के सिविल सर्जन	सदस्य
3	संबंधित जिले के भवन प्रमंडल/झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड के कार्यपालक अभियंता	सदस्य

राज्य स्तर पर गठन किए जाने वाले समितिः–

क्र०	पदाधिकारी का नाम	नामित पद
1	विभागीय विशेष सचिव/अपर सचिव	अध्यक्ष
2	निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, झारखण्ड, राँची	सदस्य
3	कार्यपालक निदेशक, झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, राँची	सदस्य

7. जिला स्तर पर गठन किए जाने वाले उक्त समिति संबंधित मेडिकल कॉलेज के साथ संबद्ध सभी अस्पतालों, जिला अस्पतालों, अनुमण्डलीय अस्पतालों एवं सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का सर्वेक्षण करते हुए IPHS Norms-2022 के अनुसार उपर्युक्त उल्लेखित बिन्दुओं को दृष्टिपथ रखते हुए आवश्यक सभी मूलभूत सुविधा हेतु आवश्यकताओं का आकलन करेगें। तदनुसार प्रस्ताव एवं प्राक्कलन तैयार करते हुए सक्षम प्राधिकार के स्तर पर तकनीकी स्वीकृति के पश्चात् राज्य स्तर पर गठित समिति को उपलब्ध कराया जायगा।
8. राज्य स्तर पर उक्त समिति प्राप्त प्रस्ताव की समीक्षा करते हुए विभाग स्तर पर प्रशासनिक स्वीकृति हेतु अनुशंसा करेगी।
9. योजना का कार्यान्वयन झारखण्ड मेडिकल एंड हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड प्रोक्यूरमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, राँची/झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, राँची के माध्यम से कराया जाएगा।
10. विभागीय संकल्प सं०–155(6) दिनांक–06.04.2013 द्वारा विभाग के अधीन आधारभूत संरचना के विकास एवं अन्य कार्यों हेतु झारखण्ड मेडिकल एंड हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड प्रोक्यूरमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, राँची का गठन किया गया है, लेकिन इसके अधीन इंजनियरिंग विंग नहीं होने के कारण वर्त्तमान में आधारभूत संरचना के विकास संबंधी कार्य झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम, लिमिटेड, राँची के माध्यम से किया जाएगा। झारखण्ड मेडिकल एंड हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड प्रोक्यूरमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, राँची के अधीन इंजनियरिंग विंग के गठन के पश्चात आधारभूत संरचना संबंधी कार्य इसके माध्यम से किया जाएगा।
11. उक्त योजना का कार्यान्वयन पर होने वाले व्यय का वहन विभाग अंतर्गत पूर्व से संचालित योजना यथा– "जिला स्तरों पर राज्य स्वास्थ्य का आधारभूत संरचना का विस्तार एवं उत्क्रमण (State Health Infrastructure Strengthening & Upgradation upto District Level)" के अधीन वर्त्तमान एवं आगामी वित्तीय वर्ष में उपबंधित राशि के अंतर्गत किया जाएगा।
12. इस निमित्त विभागीय संलेख संख्या–419(5) दिनांक–23.07.2024 में सन्निहित प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की दिनांक–07.08.2024 के बैठक में मद संख्या–10 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है।

आदेशः–आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को जनसाधारण की जानकारी के लिए झारखण्ड राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

(अजय कुमार सिंह)
प्रधान सचिव

477(5)
21.08.2024

32

ज्ञापांकः–5/पी०(नई यो०)–05/2024 477(S) रॉंची,दिनांकः 21·08·2024

प्रतिलिपिः विभागीय नोडल पदाधिकारी, ई–गजट/उप सचिव–सह–नोडल पदाधिकारी, विभागीय वेबसाईट, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, रॉंची को प्रेषित।

प्रधान सचिव

ज्ञापांकः–5/पी०(नई यो०)–05/2024 477(S) रॉंची, दिनांकः 21·08·2024

प्रतिलिपिः अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, झारखण्ड, डोरण्डा, रॉंची को सूचनार्थ एवं राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि प्रकाशित अंक की 200 (दो सौ) प्रतियाँ इस विभाग को उपलब्ध कराई जाय।

प्रधान सचिव

ज्ञापांकः–5/पी०(नई यो०)–05/2024 477(S) रॉंची, दिनांकः 21·08·2024

प्रतिलिपिः महालेखाकार (लेख एवं हकदारी), झारखण्ड, रॉंची/प्रधान सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, रॉंची/प्रधान सचिव, वित्त विभाग, झारखण्ड, रॉंची/सचिव, योजना एवं विकास विभाग, झारखण्ड, रॉंची/अभियान निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, झारखण्ड, रॉंची/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त, झारखण्ड/सभी उपायुक्त, झारखण्ड/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, झारखण्ड, रॉंची/सभी सिविल सर्जन, झारखण्ड/संबंधित कोषागार पदाधिकारी, झारखण्ड/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, रॉंची/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, रॉंची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रधान सचिव